M/s. Gresham and Craven of India (Pvt.) Ltd., Calcutta

994. SHRI MANORANJAN HAZRA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the Gresham and Craven of India (Private) Limited, Calcutta is facing closure due to financial crisis and mismangement ;

(b) if so, the reasons thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS MANTRALAYA MEN UP-MANTRI) (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) M/s. Gresham and Craven of India (Private) Ltd., Calcutta, closed down their factory on January 6, 1971.

(b) An investigation was ordered into the affairs of the Company. The investigating Committee came to the conclusions that the closure was mainly due to failure of management.

(c) After examining the recommendations of the Investigating Committee, the Management of the Company was taken over by Government of India under Section 18 of the Industries (Development and Regulation) Act. The closed factory was reopened on 12th April. 1971.

राजभाषा (वैधानिक) आयोग के कार्य और उद्देश्य

995. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (वैधानिक) आयोग के कार्य और उद्देश्य क्या है ;

(ख) क्या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य इस आयोग से कराया जाना है, यद्यपि यह कार्य आयोग के कार्यों के अन्तर्गत नहीं आता ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग, यथा सम्भव, सभी भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और कानूनों के अनुवाद से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य के समुचित आयोजन और क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। इसके कार्य इस प्रकार हैं :—

(i) यथा सभव, सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए मानक विधि शब्दाली तैयार करना और प्रकाशित करना ;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशो तथा विनियमों के हिन्दी मे प्राधिकृत पाठ तैयार करना ;

(iii) केन्द्रीय अधिनियम या किसी ऐसे अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमो, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के राज्यों की अपनी-अपनी राज भाषाओं में अनुवाद के लिए और किसी राज्य में पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के, यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों के पाठ हिन्दी से भिन्न किसी भाषा में हों, हिन्दी मे अनुवाद के लिए व्यवस्था करना ; और

(v) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो भारत सरकार द्वारा आयोग को समय-समय पर सौंपे गए हों।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।